



# कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

( पैरा 57 )

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कार्यालय का नाम : .....

कार्यालय का पता : .....

( कृपया अनुदेश 3 देखें )

महोदय,

आपसे अनुरोध है कि मेरे पेंशन सेवा के विवरण सहित मेरी भविष्य निधि बकाया राशि को मेरे वर्तमान खाते में अंतरित करें तथा इसकी सूचना मुझे भी दें। मेरा विवरण निम्नलिखित है :

सेवा में,

न्यास का नाम : .....

न्यास का पता : .....

( यदि भ.नि. राशि छूट प्राप्त स्थापना के पास है )

## भाग ( क ) : व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम : .....
2. \*पिता/पति का नाम : .....
3. मोबाईल नंबर : .....
4. ई - मेल आई डी : .....
5. बैंक खाता संख्या : .....
6. बैंक की शाखा का आई एफ एस कोड : .....

## भाग ( ख ) : पिछले खाते का विवरण ( जिस का अंतरण किया जाना है )

1. \*भविष्य निधि खाता संख्या : .....
- यदि पिछली स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त है
- पेंशन निधि खाता संख्या : .....
2. \*पिछली स्थापना का नाम व पता : .....
3. \*भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने वाला : ( ईपीएफ कार्यालय/भविष्य निधि न्यास का नाम ) .....
4. \*जन्म तिथि : ..... ( दिन/माह/वर्ष )
5. \*शामिल होने की तिथि : ..... ( दिन/माह/वर्ष )
6. \*छोड़ने की तिथि : ..... ( दिन/माह/वर्ष )

## भाग ( ग ) : वर्तमान खाते का विवरण

1. \*भविष्य निधि खाता संख्या : .....
- यदि वर्तमान स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त है
- पेंशन निधि खाता संख्या : .....
2. \*वर्तमान स्थापना का नाम एवं पता : .....

3. \*भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने वाला : (ईपीएफ कार्यालय / भविष्य निधि न्यास का नाम) .....

4. \*शामिल होने की तिथि : .....(दिन / माह / वर्ष)

5. # न्यास का नाम (वर्तमान स्थापना के कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त होने की स्थिति में जिसे राशि का भुगतान किया जाना है): .....

6. # न्यास के अंतर्गत कर्मचारी का कोड .....

(\*अवश्य भरा जाए)

(# यदि लागू न हो तो काट दे)

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा मेरी वर्तमान तथा पूर्व खाता संख्या भी सही है।

सदस्य के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

महत्वपूर्ण : सदस्य के पास अपने वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्ता से दावा फॉर्म को सत्यापित करवाने का विकल्प है। पूर्व नियोक्ता से सत्यापन करवाने की स्थिति में, निपटान में लगने वाला समय अपेक्षाकृत कम होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म के भाग (क) में उल्लिखित सदस्य के संबंध में भाग (ख) में दिए गए विवरण तथा सदस्य के हस्ताक्षर की जांच कर ली है।

पूर्व नियोक्ता के हस्ताक्षर

स्थापना की मोहर

दिनांक : .....

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म के भाग (क) में उल्लिखित सदस्य के संबंध में भाग (ग) में दिए गए विवरण की जांच कर ली है।

वर्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर

स्थापना की मोहर

दिनांक : .....

### अनुदेश एवं निर्देश

- बैंक खाते का विवरण सत्यापन के उद्देश्य के लिए हैं, यद्यपि राशि का अंतरण वर्तमान खाता संख्या का रखरखाव कर रहे ईपीएफ कार्यालय/न्यास में किया जाएगा।
- यदि पिछले खाते का रखरखाव छूट प्राप्त स्थापना के भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता था, तो सदस्य को एक अंतरण दावा फॉर्म पूर्व (फॉर्म 13(संशोधित)) न्यास में तथा दूसरा अंतरण दावा फॉर्म (फॉर्म 13 (संशोधित)) ईपीएफ कार्यालय में भेजना होगा जिससे कि नए खाते में पेंशन निधि के अंतर्गत सेवा विवरण अंतरित किया जा सके।
- फॉर्म को उस ईपीएफ कार्यालय में जमा किया जाए जिसमें पूर्व अथवा खाते का रखरखाव किया गया हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस नियोक्ता ने दावे का सत्यापन किया है। (यदि दावे का सत्यापन वर्तमान नियोक्ता द्वारा किया गया है, तो उस ईपीएफ कार्यालय में दावा जमा किया जाए जिसमें वर्तमान खाता है आदि)